न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 70/2016

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
ओमप्रकाश उर्फ कालूराम पुत्र चम्पालाल जाति कलाल निवासी कलालों का बास, बगडी नगर		1. ताराचन्द दुगड पुत्र नेमीचन्द दुगड 2. इन्द्रचन्द कोठारी पुत्र शोभचन्द 3. कन्हैयालाल झामर पुत्र हेमराज झामर 4. भीकमचन्द लुकड पुत्र मिश्रीलाल लुकड 5. नेमीचन्द सिंघवी पुत्र सोहनराज सिंघवी जातिगण जैन निवासीगण बगडी नगर तहसील सोजत हाल सदस्यगण जैन सेवा समाज, तेरापंथ भवन, बगडी नगर 6. सरपंच ग्राम पंचायत बगडी नगर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 5

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12.12.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 23/1974 संकल्प संख्या .... दिनांक .. .. की पालना में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.12.1974 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर 108532 वर्गफुट भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलावट करते हुए बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाऐ द्वारा जैर निगरानी पट्टा सार्वजनिक हित–हितार्थ धर्मशाला बनाने हेतु प्राप्त किया, जिसमें आवश्यक शर्त थी कि इस भूमि को जैन सेवा समाज व्यक्ति बेचान नही कर सकेगी, फिर भी जैन सेवा समाज के मंत्री बलवन्तराज खाटेर के पुत्र राममल ने अपने पुत्र महेन्द्र कुमार के नाम मिसल संख्या 37/1984–85, के जरिये कुल 5280 वर्गफुट का पट्टा बनवा दिया, जबकि ऐसा पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही था। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित नियमों को पूर्णतः दरकिनार करते हुए 27133 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया, जबकि ग्राम पंचायत मात्र 150 वर्गगज भूमि का ही निःशुल्क पट्टा जारी करने हेतु सक्षम है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में न तो किसी प्रकार का नक्शा तैयार करवाया तथा न ही पंचो को स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का आपत्ति इश्तिहार जारी नही किया गया। समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से की गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत बगडी नगर द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी पट्टा खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। इस भूमि का जैर निगरानी पट्टे के अलावा कोई पट्टा जारी नही हुआ है। बलवन्तराज द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, फीस जमा करवाई है। ग्राम सेवक द्वारा नक्शा तैयार किया गया है तथा मनोनित वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण करने के बाद नोटिस जारी किया गया एवं उसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता नही होने से निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 23/1974 में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.12.1976 के विरूद्ध पेश की गई है। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि आवेदक बलवन्तराज पुत्र राजमल, मंत्री श्री जैन सेवा समिति बगडी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बगडी के समक्ष दिनांक 20.03.1974 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धर्मशाला बनाने हेतु विक्रय विलेख जारी कराने का निवेदन किया। इस प्रार्थना पत्र के साथ किसी प्रकार का शुल्क जमा नही करवाया, जो नियम 256 (2) का उल्लंघन है। आवेदन पत्र पर सरपंच द्वारा टिप्पणी सहित दिनांक 24.03.1974 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, किन्तु मिसल की आदेशिका के अवलोकन के अनुसार दिनांक 20.03.1974 को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ही आपत्ति आमन्त्रित करने का नोटिस जारी कर दिया गया तथा पत्रावली दिनांक 05.05.1974 को नियत की गई। प्रक्रिया अनुसार पहले आवेदक द्वारा चाही गई भूमि का सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाता एवं उसके पश्चात तीन पंचो को उक्त भूमि के निरीक्षण हेतु मनोनीत किया जाता एवं तीन पंचों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसी अनुरूप आपत्ति इश्तिहार जारी किया जाना चाहिये था, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नही किया गया, जो नियम 257 व नियम 258 का स्पष्ट उल्लंघन है। नियत दिनांक को पत्रावली में कोई उजरदारी प्रस्तुत नही होना तथा नक्शा पेश होना अंकित कर नक्शा जांच हेतु मिसल दिनांक 12.05.1974 को नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 12.05.1974 व 09.06.1974 व 27.07.1974 तक नक्शा जांच नही किये जाने पर नक्शा जांच कर पत्रावली दिनांक 01.12.1974 को नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 01.12.1974 की आदेशिका अनुसार नक्शा जांच होकर प्राप्त होने पर मौतबिरान के बयान लिये जाकर नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से निःशुल्क पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। मिसल के संलग्न जो नक्शा लगा है, उस पर न तो किसी भी पंच के हस्ताक्षर है तथा न ही सरपंच के हस्ताक्षर है, जो अपनाई गई प्रक्रिया को दूषित सिद्ध करता है। इसके पश्चात दिनांक 15.12.1974 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की है। इस कारण जैर निगरानी पट्टा कायम रखने योग्य नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 23/1974 संकल्प संख्या .... दिनांक ..... की पालना में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 15.12.1974 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली